

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

~~2018~~ / निगरानी - 3160/2018 / छतरपुर / 2018

राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री ज्ञानचन्द जैन  
निवासी ग्राम घुवारा तहसील घुवारा जिला  
छतरपुर

— निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1- राजेश तनय पुत्र श्री भुमानीदीन सोनी  
निवासी ग्राम घुवारा तहसील घुवारा जिला  
छतरपुर

— रिस्पोंडेन्ट

2- सौरभ जैन पुत्र राजेन्द्र कुमार जैन

3- अंकित जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन  
निवासी ग्राम घुवारा तहसील घुवारा जिला  
छतरपुर

— परफोर्मा रिस्पोंडेन्ट

श्री वि. व. श्री ओ. ए. ए.  
द्वारा आज दि. 24-5-18  
प्रस्तुत। प्रारम्भिक कार्य हेतु  
दिनांक 6-6-18 तक प्रस्तावित।  
वैलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 45.18

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता विरुद्ध आदेश दिनांकी  
11-5-2018 पारित न्यायालय संभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बडामल्हार  
जिला छतरपुर प्रकरण क्रमांक 60/अपील/16-17 जिसके द्वारा विद्ववान  
न्यायालय द्वारा रिस्पोंडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 44 में प्रस्तुत  
आवेदन अंतर्गत धारा 47 भूराजस्व संहिता एवं धारा 5 परिसीमा अधिनियम को  
स्वीकार कर अपील पेश करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया गया

श्रीमान महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी निम्नांकित प्रस्तुत है :-



- 1- यहकि, रिस्पोंडेन्ट द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 44 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता के अंतर्गत विद्ववान न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3160/2018/छतरपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-06-2018	<p>आवेदक की ओर से श्री सौरभ जैन, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा जिला छतरपुर के आदेश दिनांक 11-05-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदक को पूर्व में जारी कथित आदेश की जानकारी नहीं थी क्योंकि पंजी पर आदेश पारित किया गया था । चूंकि अनावेदक को आदेश की जानकारी नहीं रही थी इस कारण अपील करने में हुआ विलम्ब माफी योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> </p>